


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
शुद्धि - पत्र

पटना-15, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

संख्या-1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-12056/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2016 (खण्ड-1)- सा0प्र0-9757 दिनांक-31.07.2017 की तृतीय पंक्ति में अंकित 'अपर सचिव' के स्थान पर 'संयुक्त सचिव' प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. तदनुसार उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


18.9.17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-12056/पटना-15, दिनांक: 18 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली /मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित सभी विभाग /अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


18.9.17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।